न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./22/2025/बाड़मेर

अपीलांट्स	रेस्पोडेंट्स
1. अजाराम पुत्र लुम्भाराम, उम्र 65 वर्ष 2. नारणाराम पुत्र लुम्भाराम, उम्र 88 वर्ष 3. अनोपराम पुत्र लुम्भाराम, उम्र 60 वर्ष, जातियान मेघवाल, निवासीयान सुमारगर नगर, विशाला आगोर, तहसील व जिला बाड़मेर।	1. उगाराम पुत्र ईसराराम 2. केवलाराम पुत्र ईसराराम 3. खेताराम पुत्र लच्छाराम 4. गड्डुकाराम पुत्र लाभूराम 5. चेलाराम पुत्र लच्छाराम 6. चौखाराम पुत्र लाभूराम 7. छगनाराम पुत्र लाभूराम 8. टीकमाराम पुत्र लाभूराम 9. नाथाराम पुत्र चेतनराम 10. पुरखाराम पुत्र चेतनराम 11. पवनी पत्नी लच्छाराम 12. बलवन्ताराम पुत्र लाभूराम 13. बाबूराम पुत्र चेतनराम 14. मूलाराम पुत्र इसराराम 15. मासिगाराम पुत्र भभूताराम 16. सवाराम पुत्र लाभूराम 17. सारी पत्नी ईसराराम 18. सिमरथाराम पुत्र चेतनराम 19. सोनाराम पुत्र ईसराराम 20. हुकमाराम पुत्र भभुताराम 21. हेमाराम पुत्र लाभूराम, जातियान मेघवाल, निवासीयान विशाला, तहसील व जिला बाड़मेर। 22. श्रीमान तहसीलदार, बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 81/2022 बउनवान उमा वगैरह बनाम अजा वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.03.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति–

1. वकील श्री सुनील के. मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पवन सिंहल रेस्पों. संख्या 12, 18, व 19 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः–03.11.2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पों. संख्या 1 से 21/वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी भूमि मौजा सुमार नगर, पटवार हल्का विशाला आगोर, तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 636/301 रकबा 56.9796 हेक्टेयर भूमि का आयी हुई है तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकार्ड में अलग-अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा-काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर प्रतिवादी (अपीलांट) को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.03.2024 को जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पों. संख्या 1 से 21/वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी भूमि मौजा सुमार नगर, पटवार हल्का विशाला आगोर, तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 636/301 रकबा 56.9796 हेक्टेयर भूमि आयी हुई है तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकार्ड में अलग-अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा-काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर प्रतिवादी (अपीलांट) को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.03.2024 को जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर संपूर्ण पत्रावली की नकल प्रति लेकर वाद का जवाब देने हेतु अवसर चाहा गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलांट को जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलांट की तामील के बारे में कोई जांच नहीं की। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील की प्रक्रिया सीपीसी आदेश 5 नियम 17 से 20 के अनुसार पूरी किये बिना ही जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन को विधिवत रूप से अपीलांट से तामील नहीं करवाया गया है तथा अपीलांट के नाम से प्रथम बार ही डाक से नोटिस जारी किये गये हैं जबकि विधिवत रूप से प्रथम बार में जरिये तामील कुनिंदा से सम्मन तामील करवाया जाना आवश्यक है परन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रथम बार में ही डाक से नोटिस भेजे गये तथा नोटिस अपीलांट से विधिवत तामील ही नहीं हुई है तथा डाक मिलने की ए.डी. भी पत्रावली में मौजूद नहीं है। फिर भी अपीलांट के विरूद्ध विधि के विपरीत जाकर एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अपीलाधीन वाद पत्र उद्घोषणा का था जिसमें साक्ष्य ली जानी विधि अनुसार आज्ञापक होता है जिसका हस्तगत प्रकरण में अभाव है। उक्त अपीलांधीन निर्णय अधीनरथ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये तथा बिना प्रतिवादी (अपीलांट) को सूचना प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरूद्ध अपीलांधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वाद कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई। तथा प्रतिवादी(अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन–फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यावाही अमल में लाई गई जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोंडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी का मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकार्ड में अलग-अलग हिस्से खुले हुये हैं परन्तु विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट्स/वादीगण अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा-काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी जबाव दावा प्रस्तुत नहीं करने पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अगर प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित की गई है तो प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की विधिक स्वंतत्रता प्राप्त होते हुए भी हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जिसका कोई औचित्य नहीं है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जो पूर्णतयाः विधि सम्मत एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा-काश्तशुदा हैं। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01(वादी) को अपनी हक-हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाने एवं अपने कृषि कार्यों के विकास हेतु बैंक संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानिंयों को सामना करना पड़ रहा था। इसलियें सभी पक्षकारों के मध्य अपने-अपने कब्जे-काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करने हेतु वाद पेश किया था। जिस अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त अनुसार प्राप्त हुआ है। साथ ही हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के पक्षकारान के मध्य हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। और ना ही हिस्से को लेकर अपीलांट द्वारा कोई प्रश्न हाजा न्यायालय में किया गया है। जिस पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक भूल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की हस्तगत पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट/प्रतिवादीगण को तामील हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। बाद तामील प्रतिवादीगण वकालतन उपस्थिति आये है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नहीं होती है। अतः अपीलांटस की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पों. द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किया गया।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांट हस्तगत प्रकरण वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। अपीलांट द्वारा दिनांक 15.02.2024 को वकालतनामा प्रस्तुत कर जबाव प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया था। जिसके बाद मासिंगाराम का देहान्त हो गया था, जिस पर प्रकरण कायम मुकाम की कार्यवाही में नियत किया गया था। इस दरम्यान अपीलांट को यह जानकारी नहीं पाई, उक्त अवधि में अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी। अपीलांट द्वारा नकल ली तब अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए थे। बाद उपस्थिति के अपीलांट द्वारा न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट्स को सूचित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील बावजूद जानकारी अत्यंत विलंब से पेश की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा हस्तगत अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक निर्णय का गहनता से अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रस्तुत न्यायिक निर्णय एवं हस्तगत प्रकरण के तथ्य भिन्न–भिन्न होने से उक्त निर्णय हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की बिना विधिक तामील करवाये ही अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय पारित की गई।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वह अपीलांट/प्रतिवादी को सूचित करते और सूचित करने के बाद ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिये थी। मूल वाद उद्घोषणा का था जिसमें विधि अनुसार साक्ष्य एवं जिरह की जानी आज्ञापक होती है जिसका हस्तगत प्रकरण में अभाव पया गया है। उक्तानुसार विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में उक्त समस्त तथ्यों को अभाव प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया प्रतीत होता है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट को आंशिक स्वीकार किया जाकर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 81/2022 बउनवान उमा वगैरह बनाम अजा वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.03.2024 विधि विरूद्ध पाये जाने से अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए व विधि सम्मत विवेचन करते हुए एवं संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने-अपने कब्जे-काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करतु हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

3/11/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/11/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर